

## ::आदेश::

कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरन्तर वृद्धि की रोकथाम के दृष्टिगत जन सुरक्षा हित में आदेश संख्या 3330/सीपीओ-डीएम-2021 दिनांक 10.04.2021 के द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक कर्फ्यू सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में सम्यक विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए रात्रि कर्फ्यू 10 बजे के स्थान पर 10:30 बजे से प्रातः 05 बजे तक लागू रहेगा।

उक्त आदेश तत्काल लागू होगा तथा शेष व्यवस्थायें यथावत रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव)  
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

### कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 3345 / सीपीओ-डीएम-2021

दिनांक : 13, अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 2- अपर मुख्य सचिव महोदय, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
- 3- सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 4- सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 5- आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
- 6- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 7- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद गढ़ीकैन्ट/क्लेमनटाउन, देहरादून।
- 10-अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रशासन, देहरादून।
- 11- नगर मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी देहरादून।
- 12-मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 13-जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- 14-अन्य सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,  
देहरादून।